

संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006

[12 जून, 2006]

भारत के संविधान का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम,
2006 है ।
2. संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड (1) के परन्तुक में "बिहार," शब्द के स्थान
पर "छत्तीसगढ़, झारखंड," शब्द रखे जाएंगे ।

संक्षिप्त नाम।

अनुच्छेद 164 का
संशोधन।

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति ।

के०एन० चतुर्वेदी,
सचिव, भारत सरकार ।